न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/18/2026 दायर दिनांकः–23.02.2026 रजि० न० 2026/35

अपीलार्थीः–

श्री खेमचंद सोमवंशी नि. 2/61, स्कीम नं.10 बी, हाउसिंग बोर्ड, अलवर–301001

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 24.03.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 29.12.2025 के परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलने से असंतुष्ट होकर सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 10.03.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/304 दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 29.12.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293465021170761 दिनांकः 30.12.2025 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में ऑनलाईन पत्र सं. 9261264202 दिनांक 11.03.2026 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना गोपनीय प्रकृति की होने, साथ ही मूल रूप में श्रीमान शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर को अग्रेषित कर दिए जाने के कारण, कार्यालय स्तर पर संधारण के अभाव में अधिनियम 2005 की धारा 7(9) व धारा 8(1)(एच) के आलोक में अदेय है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में ऑनलाइन पत्र सं. 9261264202 दिनांक 11.03.2026 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है एवं प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/304 दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 24.03.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)